कार्यालय जिला न्यायाधीश, सुलतानपुर।

प्रशासनिक आदेश संख्या–186/2024

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांकः6354/Main (P)/Admin. (A-3) Allahabad Dated: 29.04.2016 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांकः 7356/Main. (P)/Admin. (A-3) Allahabad Dated:31.05.2019 द्वारा यह निदेशित है कि प्रत्येक वर्ष माह मई व जून दोनों माह में न्यायालय कार्य अवधि प्रातः 7.00 बजे पूर्वांहन से 1.00 बजे अपरान्ह तक रहेगी। यदि सम्बन्धित बार एसोसिएशन प्रातः कालीन कोर्ट से सहमत न हों तो इन दोनों माह में न्यायालय कार्य अवधि प्रातः 10.00 बजे पूर्वांहन से 5.00 बजे अपरान्ह तक रहेगी।

बार एसोसिएशन सुलतानपुर द्वारा माह मई व जून दोनों माह में न्यायालय कार्य अवधि प्रातः 7.00 बजे पूर्वांहन से 1.00 बजे अपरान्ह तक किये जाने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं की गयी है बल्कि वर्तमान समय में भीषण गर्मी के प्रकोप के दृष्टिगत माह मई एवं जून 2024 में न्यायालय कार्य अवधि प्रातः 7.00 बजे पूर्वांहन से 1.00 बजे अपरान्ह तक किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

बार एसोसिएशन बाह्य न्यायालय सिविल जज (अ0ख0), मुसाफिरखाना, सुलतानपुर एवं बार एसोसिएशन बाह्य न्यायालय सिविल जज (प्र0ख0) एवं सिविल जज (अ0ख0), कादीपुर, सुलतानपुर से प्रातःकालीन न्यायालय कार्य अवधि के सन्दर्भ में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अतः जनपद न्यायालय सुलतानपुर, बाहय न्यायालय कादीपुर एवं मुसाफिरखाना का माह मई एवं जून, 2024 में न्यायालय कार्यकाल (Court hours) दिनॉक–02.05.2024 से प्रातः 7.00 बजे से 1.00 बजे अपरान्ह किया जाता है। कार्यालय समय 6.30 बजे प्रातः से 1.30 बजे अपरान्ह तक होगा और न्यायालयों में पीठासीन अधिकारीगण के बैठने का समय प्रतिदिन 7.00 बजे प्रातःकाल से 10.30 तथा 11.00 बजे से 1.00 अपरान्ह तक रहेगा। भोजनावकाश प्रातः 10.30 बजे से 11.00 बजे तक होगा।

सभी सम्बन्धित सूचित हो।

जिला न्यायाधीश,
सुलतानपुर।
01.05.2024

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2– जिलाधिकारी, सुलतानपुर/अमेठी।
3– पुलिस अधीक्षक, सुलतानपुर/अमेठी।
4– सिविल जज प्रवर खण्ड एवं अवर खण्ड, कादीपुर।
5– सिविल जज (अवर खण्ड) मुसाफिरखाना।
6– बार एसोसिएशन, सुलतानपुर।
7– बार एसोसिएशन, कादीपुर।
8– बार एसोसिएशन, मुसाफिरखाना।
9– जिला सूचनाधिकारी, सुलतानपुर।
10–ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी सुलतानपुर।
11–जिला कारागार अधीक्षक, सुलतानपुर।
12–सिस्टम आफिसर, कम्प्यूटर सुलतानपुर को जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।